

छावनी परिषद् लैन्सडौन के (ABAS) के कार्य संचालन हेतु अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति हेतु निविदा हेतु नियम व शर्त

छावनी परिषद् लैन्सडौन द्वारा Accrual based accounting system (ABAS) कार्य के लिए संविदा पर एक अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसको कि www.eprocure.gov.in पर दिनांक 15 अक्टूबर 2016 से 25 अक्टूबर 2016 को समय 18.55 बजे तक अपलोड किया जा सकता है व दिनांक 26 अक्टूबर को समय 10.00 बजे खोली जायेगी ।

नियम व शर्त

1. यह नियुक्ति पूर्णतया संविदा पर होगी। संविदाकार यह दावा भी नहीं करेगा कि उसे स्थायी नियुक्ति दी जाय।
2. अधोहस्ताक्षरी / मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद् को निविदा करने व रद्द करने के सारे अधिकार होंगे ।
3. कार्यालय की नियम व शर्तों पर ही विचार किया जायेगा ।
4. संविदा पर नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का कार्य व्यवहार सन्तोषजनक न पाये जाने पर मुख्य अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वे 07 दिन का समय देकर उक्त कर्मचारी को कभी भी सेवा मुक्त कर सकते है।
5. संविदा पर नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधोहस्ताक्षरी / मुख्य अधिशासी अधिकारी को 30 दिन पूर्व सूचित करने के उपरान्त ही छावनी परिषद् से कार्य मुक्त हो सकता है। ऐसा न करने पर उन्हे परिषद् द्वारा उन्हें 30 दिन का वेतन / मानदेय नहीं दिया जायेगा।
6. यह संविदा / अनुबन्ध आरम्भ होने की तिथि से 12 माह के लिये वैध होगी इसके उपरान्त यह संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा यदि कार्य अवधि का विस्तार अति आवश्यक हो तो बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखकर बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात ही कार्य विस्तार दिया जायेगा।
7. संविदा पर नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को दिया गया कार्य निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण करना होगा, तथा कार्यालय के सभी अनुभागों से स्वयं डाटा लेना होगा ।
8. आवश्यकतानुसार जब-जब आपको कार्यालय में उपस्थित होकर स्वयं राय देने व कार्य करने हेतु कहा जायेगा तो उसके लिये प्रथम रूप से किसी प्रकार का भत्ता व आवास सुविधा देय नहीं होगा, और आपको उपस्थित होना होगा अन्यथा आदेशो का पालन न करने पर आपको उक्त माह का मानदेय / संविदा की धनराशि नहीं दी जायेगी।
9. नियमानुसार आपसे सूचना जब जैसे जिस भी प्रारूप मे मांगी जायेगी आप निःसन्देह उसी प्रारूप में अपनी सलाह उपलब्ध करायेंगे ।
10. जिन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को छावनी परिषदों में ABAS के कार्य का अनुभव होगा उनको प्राथमिकता दी जायेगी ।
11. विभागीय कार्य के दौरान कोई भी दुर्घटना या नुकसान के लिए छावनी परिषद् लैन्सडौन की ओर से आपको/आपके कर्मचारी को कोई भी मुआवजा देय नहीं होगा।
12. समय समय पर विभाग की ओर से सौपें जाने वाले आयकर,व्यापार कर, सविर्स टैक्स व बीमा अन्य कार्य को भी आपके द्वारा सम्पादित करना होगा व राय प्रस्तुत करनी होगी ।

12. परिषद् के किसी भी पेपर/ रजिस्टर व लेखा अॉकडो / बोर्ड कार्यवाही से सम्बन्धित कागजातो की गुप्तता बनाये रखें व किसी को भी हस्तान्तरित नहीं करें, यदि ऐसा होता है तो आपकी संविदा निरस्त समझी जायेगी व नियमानुसार आपके ऊपर कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप व आपकी फार्म जिम्मेदार होगी। बोर्ड द्वारा इसके लिये जो भी सजा व दण्ड निर्धारित किया जायेगा वह आपको भुगतान करना होगा।
13. संविदा राशि के आलवा सभी प्रकार के देय कर के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संविदाकार/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की होगी।
14. मूल प्रपत्रो व अपलोड स्कैन किये गये प्रपत्रों में भिन्नता होने पर मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद् को संविदा निरस्त करने का अधिकार होगा ।
16. फर्म को अपने पत्र पैड पर मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद् लैन्सडौन को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन करना आवश्यक है ।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद् लैन्सडौन
(अंकिता सिंह)

ELIGIBLE CRITERIA: DOCUMENTS TO BE UPLOADED

पात्र मानदंड एवं प्रपत्र अपलोड

1. फर्म/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को निम्नलिखित विवरण के साथ अपने पत्र पैड पर मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद् लैन्सडौन के पक्ष में आवेदन की स्कैन की हुई कापी ।

1	संस्था का नाम	
2	संस्था का रजिस्ट्रेशन सं० / दिनांक	
3	संस्था का पत्र व्यवहार का पता	
4	संस्था का पैन न०	
5	संस्था का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या	
6	संस्था का ई- मेल यदि हो तो	
8	संस्था का बैंक खाता सं०	
9	कार्य का अनुभव	
10	फर्म का दूरभाष सं०	
	फर्म का मोबाइल सं०	

2. फर्म के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति ।
3. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति
4. फर्म के पैन कार्ड की स्कैन प्रति ।
5. फर्म के कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति ।

नोट:- स्वयं सत्यापन एवं मोहर के साथ सभी उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की कापी अपलोड करना आवश्यक है अन्यथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट / फर्म का आवेदन रद्द माना जायेगा ।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद् लैन्सडौन
(अंकिता सिंह)

वित्तीय बोली

मानदेय सभी करों सहित		धनरशि
1.	प्रति माह के आधार पर	

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद् लेन्सडौन ।